

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

आदेश

कमॉक/539/अति.जि.दण्डा./2020

दुर्ग, दिनांक 2 अगस्त, 2020

कार्यालयीन आदेश कमॉक 535/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनांक 28 जुलाई, 2020 एवं संशोधित आदेश कमॉक 538/अति.जि.दण्डा./2020 दुर्ग, दिनांक 30 जुलाई, 2020 के तारतम्य में रक्षा बंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर दिनांक 3 अगस्त, 2020 को केवल एक दिवस के लिये प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक राखी एवं मिठाई के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाती है। पूर्व में प्रसारित कार्यालयीन आदेश की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



कमॉक/539/अति.जि.दण्डा./2020
प्रतिलिपि:-

(डॉ० सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग
दुर्ग, दिनांक 2 अगस्त, 2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, भिलाई को सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई/रिसाली/भिलाई चुरोदा,
7. सर्व अनुविभागीय अधिकारी, जिला दुर्ग,
8. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग,
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला दुर्ग,
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला दुर्ग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ० सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला दण्डाधिकारी
दुर्ग